


अनुसार राजस्व ग्राम बासनी अंकरा
के खसरा सं. 1779/1 एवं खसरा
सं. 1847 में टीमा राम पुत्र मोहन लाल
हिस्सा 1/4 दर्ज के स्थान पर चिमन
लाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/4 दर्ज
करने का आदेश तहसीलदार बावड़ी को
दिया जाता है। तहसीलदार बावड़ी द्वारा
प्रस्तुत मौका ऑन रिपोर्ट इस आदेश
का अंग रहेगी। तहसीलदार बावड़ी को
इस आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी है।

पत्रावली फ़ैसल नुमांर होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल रफ़्तार है।
फ़ैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी